नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 214/2021
Dt- 30-6-2021

सचिव,
परिवहन विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः–राज्य में प्राईवेट बस मालिकों द्वारा यात्रियों से दुगुना किराया लिए जाने पर रोकथाम लगाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

शहरों में लॉकडाउन खुलते ही गांव से प्रवासी मजदूर काम पर लौटने लगे हैं लेकिन ट्रेन की सुविधा अभी पूर्णतः नहीं रहने के कारण बसों से यात्रा करना उनकी मजबूरी है। यात्रा के दौरान बस मालिकों द्वारा दुगुना भाड़ा लिया जा रहा है, साथ ही, सामान्य रूप से यात्रा करने वाले यात्रियों से भी इसी तरह की मनमानी की जा रही है।

कोविड–19 गाईड लाइन के तहत अभी सभी बसों में सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री को ही बैठाना है लेकिन इसका अनुपालन अधिकांश बसों के द्वारा नहीं की जा रही है। दोनों सीट का किराया एक यात्री से लिया जा रहा है और बगल की सीट पर भी यात्री को बैठाकर उससे दुगुना भाड़ा लिया जा रहा है। इसकी शिकायत कई यात्रियों द्वारा प्रशासन से की जाती रही है लेकिन प्रशासन द्वारा इसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

यह स्थिति केवल एक जिला में नहीं है, बल्कि राज्य के अन्य सभी जिलों में है। कई बार यात्रा में इस तरह की शिकायत करने पर बस मालिक जबरन मार–पीट करने पर उतारू हो जाते है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि बसों में सीट से दुगुना यात्री

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in

भरे रहते है, फिर भी उनसे भाड़ा अन्य यात्रियों की तरह दुगुना लिया जाता है। इस मामले में प्रशासन अकर्मण्य की स्थिति में है। उदाहरणार्थ पहले झंझारपुर से दरभंगा का किराया 60 रूपया था, वर्त्तमान में 120 से 200 रूपया तक किराया लिया जा रहा है। झंझारपुर से पटना का किराया 180 रूपया था जो अभी लगभग 500 रूपया किराया यात्रियों को देना पड़ रहा है।

अतः अनुरोध है कि कोविड–19 के नाम पर बस मालिकों द्वारा यात्रियों से अनुचित ढंग से भाड़ा लेने पर रोकथाम लगाने हेतु समुचित कार्रवाई करने एवं प्रशासन को गाईड लाइन से अवगत कराना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय

Nitish Mishra

(नीतीश मिश्रा) 30.6.21

संलग्न – समाचार पत्र के कतरन की छायाप्रति।